

DTH SEES MARGINAL DECLINE & CABLE IS STEADY

The DTH sector has seen a marginal decline in the latest figures. The latest figures indicates that subscriber base in DTH has decreased by 2.06% from 66.62 million in December 2022 to 65.25 million in March 2023. According to the latest Performance Indicator Report (PIR) from the Telecom Regulatory Authority of India (TRAI), Pay DTH has lost around 1.37 million subscriber base in one quarter.

Tata Play's is the biggest player with a share of 32.65% for the quarter. Bharti Telemedia's (Airtel DTH) market share was 26.77%, Dish TV had 21.78% market share during the quarter and Sun TV Direct TV had 18.81% market share.

The cable TV figures reveal as on March 31, 2023, there are 1748 MSOs registered with MIB and there are 12 MSOs and 1 HITS operator who have a subscriber base greater than one million.

GTPL Hathway had the highest subscriber base of over 9 million followed by Siti Networks Ltd with over 6 million and Hathway Digital with over 5 million subscribers.

NDTV LAUNCHES REGIONAL CHANNELS

NDTV is expanding with the launch of regional channels and the first one is NDTV Madhya Pradesh-Chhattisgarh, which is on-air.

Sanjay Pugalua, NDTV's Executive Director and Editor-in-Chief said, "The decision to go regional stems from the desire to provide hyper-local, relevant news to people living in these states, towns and villages. We'll carry NDTV's legacy of trust to MP-Chhattisgarh, and we'll give the people of MP-Chhattisgarh news that matters to them."

Senthil Chengalvarayan, NDTV's Executive Director added, "NDTV's regional channels are committed to bringing news you can trust, and carrying forward NDTV's legacy of 35 years to the people of MP and Chhattisgarh. A big congratulations to the entire team on the launch."



डीटीएच में मामूली गिरावट देखी गयी, जबकि केबल स्थिर है

ताजा आंकड़ों में डीटीएच क्षेत्र में मामूली गिरावट देखी गयी है। नवीनतम आंकड़े बताते हैं कि डीटीएच में सब्सक्राइबर बेस दिसंबर 2022 में 66.62 मिलियन से 2.06% घटकर मार्च 2023 में 65.25 मिलियन रह गया। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) के नवीनतम प्रदर्शन संकेतक रिपोर्ट (पीआईआर) के अनुसार पे डीटीएच ने एक तिमाही लगभग 1.37 मिलियन ग्राहक आधार खो दिया।

इस तिमाही में 32.65% हिस्सेदारी के साथ टाटा प्ले सबसे बड़ा खिलाड़ी है। तिमाही के दौरान भारती टेलीमीडिया (एयरटेल डीटीएच) की बाजार हिस्सेदारी 22.77% थी, डिश टीवी की बाजार हिस्सेदारी 21.78% और सन टीवी डायरेक्ट टीवी की बाजार हिस्सेदारी 18.81% थी।

केबल टीवी के आंकड़े बताते हैं कि 31 मार्च 2023 तक एमआईवी के साथ 1748 एमएसओ पंजीकृत हैं और 12 एमएसओ, एक एचआईटएस ऑपरेटर है जिसका ग्राहक आधार 10 लाख से अधिक है। जीटीपीएल हैथवे के पास सबसे ज्यादा 9 मिलियन से अधिक ग्राहक आधार है, इसके बाद 6 मिलियन ग्राहकों के साथ सिटी केबल नेटवर्क्स लिमिटेड है और हैथवे डिजिटल के पास 5 मिलियन से अधिक ग्राहक हैं।

क्षेत्रीय चैनल लॉन्च किये एनडीटीवी ने

एनडीटीवी क्षेत्रीय चैनलों के लॉन्च के साथ विस्तार कर रहा है और ऑन एयर होने वाला पहल चैनल एनडीटीवी-छत्तीसगढ़-मध्यप्रदेश है।

एनडीटीवी के कार्यकारी निदेशक और प्रधान संपादक संजय पुगलिया ने कहा, 'क्षेत्रीय होने का निर्णय इन राज्यों, कस्बों, और गांव में रहने वाले लोगों अति-स्थानीय, प्रासंगिक समाचार प्रदान करने की इच्छा से उपजा है। हम एनडीटीवी के भरोसे की विरासत को एमपी-छत्तीसगढ़ तक ले जायेंगे और हम एम-छत्तीसगढ़ के लोगों को वो खबरें देंगे, जो उनके लिए मायने रखती है।'

इस भावना को जोड़ते हुए एनडीटीवी के कार्यकारी निदेशक सेंथिल चेंगलवरायण ने कहा, 'एनडीटीवी के क्षेत्रीय चैनल उन खबरों को लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं और एमपी और छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए एनडीटीवी की 35 वर्षों की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। लॉन्च पर पूरी टीम को बहुत-बहुत बधाई।



ABHILASHA PATHAK HIRED BY AMAR UJALA

News anchor Abhilasha Pathak has joined Amar Ujala. This will be her second stint at Amar Ujala. She was associated with RSTV for close to four years.

Prior to joining RSTV, Pathak was associated with News24 as Sr. Anchor, where she served a stint of over four years.

Pathak is well versed in Hindi & English journalism. In her career spanning 14 years she has also served stints at MH1, P7 and Mahuaa News.



ABHILASHA PATHAK

अमर उजाला में शामिल हुई अभिलाषा पाठक

न्यूज एंकर अभिलाषा पाठक अमर उजाला से जुड़ गयी हैं।

अमर उजाला के साथ यह उनका दूसरा कार्यकाल होगा। वह करीब चार साल तक आरएसटीवी से जुड़ी रहीं।

आरएसटीवी में शामिल होने से पहले, श्रीमती पाठक न्यूज 24 में वरिष्ठ एंकर के रूप में जुड़ी थीं, जहां उन्होंने चार साल से अधिक समय तक कार्य किया।

श्रीमती पाठक अंग्रेजी और हिंदी पत्रकारिता में पारंगत हैं। अपने 14 साल की करियर में उन्होंने एमएच1, पी7 और महुआ न्यूज में भी काम किया है।

STUDIO 17 JOINS HANDS WITH DISTROTV

DistroTV is a leading global independent free ad-supported streaming television service is on a partnership with Studio 17. With this the popular 'Kids TV - Sing Along Nursery Rhymes' channel to DistroTV's expansive content lineup, will be seen by audiences globally.

Distro belongs to Uday Singh Phoolka, Studio17 and he has been at the forefront of producing engaging and educational content for children.



डिस्ट्रोटीवी के साथ हाथ मिलाया स्टूडियो 17 ने

डिस्ट्रोटीवी एक अग्रणी वैश्विक स्वतंत्र विज्ञापन-समर्थित स्ट्रीमिंग टेलीविजन सेवा है और स्टूडियो 17 के साथ साझेदारी कर रहा है।

इसके साथ डिस्ट्रोटीवी के व्यापक कंटेंट लाइनअप में लोकप्रिय किड्स टीवी-सिंग अलॉन्ग नर्सरी राइम्स चैनल' को विश्वस्तर पर दर्शकों द्वारा देखा जायेगा।

डिस्ट्रो, उदय सिंह फुल्का के स्टूडियो 17 का है और वह बच्चों के लिए आकर्षक और शैक्षिक सामग्री तैयार करने में सबसे आगे रहा है।

SC TO ISSUE GUIDELINES FOR TV

The Supreme Court has said that guidelines will be issued for regulation of TV channel as self-regulation has "proved to be ineffective".

The bench has said that the rules have to be made stringent since otherwise, the TV channels would not comply.

The court has also sought suggestions on the present penalty of Rs 1 lakh.

The observations was made while hearing an appeal by NBA against a Bombay HC verdict about the lack of teeth in self-regulation of TV channels. ■



टीवी के लिए दिशानिर्देश जारी करेगा सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि टीवी चैनल के नियमन के लिए दिशानिर्देश जारी किये जायेंगे, क्योंकि स्व-नियमन अप्रभावी साबित हुआ है।

पीठ ने कहा है कि नियमों को सख्त बनाना होगा अन्यथा टीवी चैनल इनका पालन नहीं करेंगे।

कोर्ट ने एक लाख रुपये के मौजूदा जुर्माना पर भी सुझाव मांगे हैं।

टीवी चैनलों के स्व-नियमन में कमी के बारे में बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ एनबीए के अपील की सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की गयी। ■